



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3767

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 46131 वर्ष 2025**

गुलाम नबी .....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी (गण)

---

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार सिंह, अम्बर खन्ना, संदल खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता  
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

---

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रथम एवं द्वितीय पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री राज कुमार खन्ना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्री अजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, द्वारा सहायता प्राप्त हैं, तथा श्री अरविंद कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 338 वर्ष 2024, धाराओं 103(1), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता, थाना संभल, जिला संभल के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसका नाम घटना के दो माह पश्चात, वह भी सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में, सामने आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।
5. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक के इशारे पर पुलिस के हथियारों की बरामदगी की गई है, जो आवेदक पर थोपी गई है। उक्त बरामदगी से आवेदक का कोई भी संबंध नहीं है, अतः वह जमानत पाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक को आरोपित चौबीस मामलों का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 19.2.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** में अवलोकन किया है कि यदि अन्यथा अभियुक्त का जमानत का मामला बनता हो, तो उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
9. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को नियम तथा कारावास को अपवाद की संकल्पना को जन्म देता है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति का जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार केवल इस कारण छीना नहीं जा सकता कि उस पर अपराध करने का अभियोग है, जब तक कि उसका अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उद्घोषित करता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायोचित एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पुनः प्रतिपादित किया है।
11. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595** के वाद में पुनः इस बात पर बल दिया है कि इस सुस्थापित विधिक सिद्धांत को नहीं भूला जाना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।
12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बता सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।



13.मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसका नाम घटना के दो माह पश्चात पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में आया है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

14.उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक गुलाम नबी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।

(iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15.उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

16.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

विकास वर्मा